दिनांक 01.08.2013 को सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में विभागीय आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण हेतु वास्तुविदों के चयन हेतु अभिरूची की अभिव्यक्ति के आलोक में प्राप्त प्रस्तावों में से Short listed <u>एजेन्सी के प्रस्तुतीकरण हेतु आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।</u>

<u>उपस्थिति</u> :–

1– श्री एस0 एम0 राजू, सचिव,
2– श्री राज नारायण लाल, निदेशक,
3– श्री जितेन्द्र सिंह, पू0 कुलपति, जय प्रकाश ना0 विश्वविद्यालय, पू0 विभागाध्यक्ष, एन0आई0टी0,पटना(Architecture)
4– श्री इन्द्रजीत मुखर्जी, सहायक निदेशक (क0),

<u>बैठक की कार्यवाही</u> :–

1– विभाग के अंतर्गत निर्माण होनेवाले आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास तथा मरम्मति आदि हेतु डी.पी.आर. बनाने तथा उसका सुपरविजन करने हेतु वास्तुविदों को चयन करने के लिए कॉन्सेप्ट डिजाईन के कम्पटिशन हेतु अनसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय सिधाव को चयनित कर भवन निर्माण विभाग के द्वारा empaneled Grade-A एवं Grade-B के वास्तुविदों से अभिरूची की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गयी थी। इस आलोक में तकनीकी प्रस्तावों के अनुरूप पाये गये दो वास्तुविदों को शर्टलिस्टेड किया गया था। दो वास्तुविद कंपनी यथा– सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट प्रा0 लि0 पटना तथा डी0डी0एफ0 कन्सल्टेंट प्रा0 लि0 दिल्ली को शार्टलिस्ट किया गया था। दोनों शार्टलिस्टेड वास्तुविदों से आज दिनांक 01.08.2013 को प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया था। प्रस्तुतीकरण पहले सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट प्रा0 लि0 द्वारा किया गया। दूसरा प्रस्तुतीकरण डी0डी0एफ0 कन्सल्टेंट प्रा0 लि0 द्वारा किया गया।

2– प्रस्तुतीकरण तथा दिये गये सभी कागजातों का अध्ययन करने के बाद निम्नलिखित तथ्य पायी है :–

(i)– डी0डी0एफ0 कन्सल्टेंट प्रा0 लि0 ने बिना स्थल अध्ययन के ही प्रस्तुतीकरण किया जो निविदा के शर्त्तों के विपरित था।

(ii)– डी0डी0एफ0 कन्सल्टेंट द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन देखने से प्रतीत होता है कि यह विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम प्राक्कलित राशि से काफी अधिक है।

(iii)–डी0डी0एफ0 कन्सल्टेंट साईट पर बने हुए एवं उपयोग में लाये जाने वाले भवनों उपयोग के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(iv)–डी0डी0एफ0 कन्सल्टेंट द्वारा पूरे स्थल को खुला मैदान मानते हुए मास्टर प्लान प्रस्तावित किया है।

3– सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तावित डिजाईन में कुछ संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है :–

(i)– जो भवन जी + 3 फ्लोर तक बन गये हैं उनके उपर ढ़ालदार छत का प्रावधान होने की आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि मेन्टेनेन्स नहीं रहने से बरसात के मौसम में सिपेज होने की संभावना अधिक रहती है।

(ii)– सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट प्रा0 लि0 ने उपलब्ध भवनों का उपयोग करते हुए मास्टर प्लान प्रस्तावित किया है।

(iii)– कुल मिलाकर सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तावित प्रस्तुतीकरण को समिति के सभी सदस्यों ने निविदा के अनुरूप पाया।

4– प्रस्तुत मास्टर प्लान, कान्सेप्ट डिजाइन एवं एलिवेशन (Elevation) का मार्किंग का आकलन किया गया, जो इसके साथ संलग्न है। इसके अनुसार सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट को 79 मार्कस् एवं डी.डी.एफ. कन्सल्टेन्ट को 39 मार्कस् पाया गया। तदनुसार सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट को चयन करने का निर्णय लिया गया।

5– डी0डी0एफ0 कन्सल्टेंट द्वारा विभाग द्वारा दिये गये प्रोफर्मा में विभिन्न कार्यों के लिए दर मांगा गया था किन्तु उस प्रपत्र के अनुरूप दर नहीं दिया गया, सिर्फ व्यावसायिक फीस सिंधाव आवासीय विद्यालय का प्रोजेक्ट का कुल प्राक्कलन का 2.22 प्रतिशत देय होगा। इसमें स्पष्टरूप से भूमि का सर्वेक्षण एवं स्वायल टेस्ट करने हेतु अलग–अलग राशि नहीं दर्शाया गया है। जबकि सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट द्वारा अलग–अलग देय राशि की सूचना दिया गया है जो निदेश के आलोक में एनेक्चर–1 के रूप में संलग्न किया गया है । इस आलोक में डी0डी0एफ0 के मामले में निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

6— The Financial Bid submitted in the following manner:

Sl. No.	Items	Rates quoted by Sen & Lal	Rates quoted by DDF	Decision of the committee
1	Survey of land on per acre basis	₹7000/-	Not Mentioned	₹7000/-
2	Soil test for each site on lumpsum basis	₹65000/-	Not Mentioned	₹50000/-
3	(i) Campus Layout and all Buildings Designs including structural designs (including Furnishing) (ii) For Architectural & Engineering Consultancy for Plans Designs and Estimates and Tender document: on % (percentage) basis/scale of charges of cost of project.	2.59% of project cost	2.22% of project cost	2.22% of project cost
4	Fee for repeat of Building blocks including Architectural and Structural Designs on other sites. (As percent of original block)	35% of original fee	Not Mentioned	35% of original fee
5	Fee for repeat Architectural for Building types but with Structural Designs as per site condition. (As percent of original block)	50% of original fee	Not Mentioned	50% of original fee

Sl. No.	Items	Rates quoted by Sen & Lal	Rates quoted by DDF	Decision of the committee
6.	For Consultant Supervision at the field level as per scope of services detailed in Annexure-I	1.26% of project cost	Not Mentioned	1.26% of project cost
7	Fee for all services mentioned in 6.1.1 to 6.1.5 but for Renovation & upgradation of existing school project on percentage basis.	4.25% of project cost subject to minimum of ₹1.50 lakhs	Not Mentioned	4.0% of project cost subject to minimum of ₹1.00 lakhs
8	Separate Fee to be quoted for assistance to department in taking over complete school projects from Executing Agency where the Consultancy was not involved in supervision.	L.S. ₹1.25 lakhs	Not Mentioned	L.S. ₹1.00 lakhs
9	Service Tax and other taxes to be charged should be mentioned	12.36% of fee as per Govt. of India norms	12.36% of fee as per Govt. of India norms	12.36% of fee as per Govt. of India norms

7– सर्विस चार्जेज दोनों वास्तुविदों ने फीस के अतिरिक्त मॉगा है।

8– उपरोक्त सभी बिन्दुओं को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–1330, दिनांक 04.02.2008 में जो निर्णय लिया गया है उसमें जेनरल आर्किटेक्चरल की परियोजना मूल्यांकण का 2.85 प्रतिशत, आर्किटेक्चरल फीस परियोजना के पुनरावृत्ति के लिए 2.85 प्रतिशत फीस का 35 प्रतिशत। इनटिरियर डिजाईन फीस परियोजना के कुल इनटिरियर लागत का 3.5 प्रतिशत। परियोजना सुपरविजन फीस 1.80 प्रतिशत है। साईट का लेण्ड सर्वे प्रति एकड़ 7000/–रू0 और मिट्टी जॉच प्रति साईट 30,000/–रू0 है। इसको देखते हुए समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये:–

(i)– दोनों वास्तुविदों में परियोजना मूल्यांकण के लिए 2.22 प्रतिशत न्यूनतम दर प्राप्त है जिसे स्वीकृत किया जा सकता है और उस 2.22 प्रतिशत का 35 प्रतिशत रिपिट वर्क के लिए रखे जाने हेतु निर्णय लिया गया और परियोजना सुपरविजन के लिए 1.26 प्रतिशत स्वीकृत किया जाता है।

(ii)– रिनोभेशन एवं अपग्रेडेशन हेतु कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 4.25 प्रतिशत होगा और प्राजेक्ट में कम–से–कम 1.00 लाख रू0 देने तथा कुल वर्क प्रोजेक्ट का 4 प्रतिशत देने का निर्णय लिया गया।

(iii)– सर्वे ऑफ लैण्ड के लिए 7000/–रू0 प्रति एकड़ और मिट्टी टेस्ट के लिए प्रति साईट 65000/–रू0 मॉगा गया है, इसके लिए 50,000/–रू0 देने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

(iv)– जिसका सुपरविजन कन्सल्टेन्सी वास्तुविद से नहीं लिया गया है उस साइट के assistance to department के लिए लगभग 1.00 लाख रूपया फीस देने का निर्णय लिया गया।

(v)– डी.डी.एफ. कन्सल्टेन्ट द्वारा प्रस्तुत EOI एवं अन्य वास्तुविद द्वारा समर्पित EOI के तकनीकी विड एवं वित्तीय विड के तुलनात्मक अध्ययन में डी.डी.एफ. कन्सल्टेन्ट को 39 अंक प्राप्त हुआ, जो अन्य वास्तुविद से काफी कम है एवं डी.डी.एफ. कन्सल्टेन्ट द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किये टेबुल वर्क के आधार पर काल्पनिक डिजाइन समर्पित किया गया है। वित्तीय विड मानक विवरणी के अनुसार नहीं दिये जाने के कारण डी.डी.एफ. कन्सल्टेन्ट फर्म को विभाग के वास्तुविद के रूप में लेने हेतु अयोग्य पाया गया ।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
(इन्द्रजीत मुखर्जी)	**(जितेन्द्र सिंह)**	**(राज नारायण लाल)**	**(एस०एम० राजू)**
सहायक निदेशक	पूर्व कुलपति	निदेशक	सचिव
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।	जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा।	अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।	अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञाप संख्या–1/आ0 वि0 (विविध)–03–01/13–1859 पटना, दिनांक–12. अगस्त, 2013

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग,/प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग /सचिव, भवन निर्माण विभाग/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित पदाधिकारी/सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट प्रा0 लि0 पटना/डी.डी.एफ. कन्सल्टेन्ट प्रा0 लि0 नई दिल्ली/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, /सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण /सभी जिला कल्याण पदाधिकारी प्रशाखा पदा0 1 एवं 4 डी0 / सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/8/13

सरकार के अवर सचिव।